हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01/1 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मा... में पेश हुई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। डिक्री पर्चा अलग से बनाया जाकर पत्रावली पर हुआ। पत्रावली स्वीकार फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता रिकॉर्ड अगार जमा हो।	
उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)	

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ केम्प कोर्ट, माण्डीगढ़)

पीठासीन अधिकारी– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (R.A.S.)

राजस्व मूल वाद संख्या–11 / 2004

तारीख निर्णय–05 /05/ 2016

वादीगण :–

1– हिम्मत पुत्र वरदाजी, आयु– बालिग,
2– गेना पुत्र वरदाजी, आयु– बालिग,
3– राजा पुत्र वरदाजी, आयु– बालिग,
4– पेमा पुत्र वरदाजी, आयु– बालिग,
5– बाबू पुत्र चुनाजी, आयु– बालिग,
6– सेमी बेवा चुनाजी, आयु– बालिग,
7– पेमा पुत्र चमनाजी, आयु– बालिग,
8– लाला पुत्र दौलाजी, आयु– बालिग,
9– जेठा पुत्र दौलाजी, आयु– बालिग,
10– रूपा पुत्र वनाजी, आयु– बालिग,
11– मोती पुत्र वनाजी, आयु– बालिग,
12– सदा पुत्र तेजाजी, आयु– बालिग,
13– चुना पुत्र तेजाजी , आयु– बालिग,
14– हंसा पुत्र तेजाजी, आयु– बालिग,
कौम– तमाम जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राज0)

– बनाम–

प्रतिवादीगण–

1– रामा पुत्र पेमाएजी, आयु– 48 वर्ष,
2– हीरा पुत्र पेमाजी, आयु– 35 वर्ष,
3– भगाराम गोद पुत्र भीमाजी, आयु– बालिग,
4– कसू पुत्री भीमाजी, आयु– बालिग,
5– टीपू पुत्री भीमाजी, आयु– बालिग,
6– हंजा पुत्री भीमाजी पत्नि डूंगाजी , आयु– बालिग,
7– मेगाराम पुत्र कसनाजी, आयु– बालिग,
8– भंवरलाल पुत्र कसनाजी, आयु–25 वर्ष,
9– हेमीबाई बेवा कसनाजी, आयु– बालिग,

–––क्रमश : पेज– 2 पर.........

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

10– पनाराम पुत्र मगनाजी, आयु– 45 वर्ष,
11– भंवरराम पुत्र मगनाजी, आयु– 35 वर्ष,
12– लाली बेवा मगनारामजी, आयु– 70 वर्ष,
कौम तमाम जाट, निवासीगण– माण्डीगढ, तहसील– देसूरी,
जिला– पाली (राज0)
13– राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदारजी, देसूरी

–: वाद अन्तर्गत धारा–88, 89, 188, 92ए राज0 काश्त0 अधिनियम,1955 :–

उपस्थिति–
वादीगण की ओर से– वकील श्री जगदीशचन्द्र बोहरा।
प्रतिवादीगण सं0–1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ओर से वकील श्री हुकमसिंह सोलंकी

–: निर्णय :– दिनांक–09/05/2016

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि– वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत अनुतोष चाहा कि वाद हाजा मे बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक वाद डिकी फरमाया जाकर मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर– 201 रकबा– 5 बीघा 1 बिस्वा से नये बने खसरा नम्बर– 655 रकबा– 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर– 656 रकबा– 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर– 657 रकबा– 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर– 660 रकबा– 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर– 661 रकबा– 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर– 662 रकबा– 0.11 हैक्टर जुमले रकबा– 0.76 हैक्टर पर वादीगण का कब्जा पिढीयों से लगातार होना मानते हुए उसमे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हक निहित होना घोषित फरमावे व यह भूमि आपसी बंटवाडे मे वादी बाबू वल्द चूना, समी बेवा चूना, पेमा वल्द चिमना 1/2 व हिम्मतराम वल्द वरदा 1/2 के आने से इनकी खातेदारी की होना घोषित फरमावे व बाबू, सभी, पेमा व हिम्मतराम के खाते मे वर्तमान मे दर्ज पुराने खसरा नं0 202 से बने खसरा नम्बर– 663 रकबा– 0.66 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–1 लगाय– 12 के कब्जे मे होना मानते हुए उनकी खातेदारी की प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषित फरमावे व प्रतिवादी संख्या–1 लगाय–12 वादीगण के कास्त कब्जे मे विद्यमान नये खसरा नम्बर– 655, 656, 657, 660, 661, 662 जुमले रकबा– 0.76 हैक्टर भूमि मे किसी भी रूपेण दखलन्दाजी नही करे न स्वयं करे न ही किसी अन्य से ही करावे व इस भूमि को किसी अन्य को किसी भी रूपेण अन्तरित नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावे।

प्रतिवादी सं0 4,5,6 बावजूद तामिल अनु0 रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या–13 फोरमल पार्टी होने से वादोत्तर देना नही चाहते है एवं

---क्रमश : पेज– 3 पर.........

प्रतिवादी संख्या– 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पत्राचली शहादत वादी मे मुकर्रर हुई।

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट मे उपस्थित हुए एवं उपस्थित वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया एवं मय वकुलाय पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है प्रस्तुत वाद अनुरूप शिविर मे डिक्री जारी करावे। एवं राजीनामा के जरिये डिक्री पारित करने हेतू सहमत हुए। राजीनामा तसदीक किया गया।

–: आदेश :–

अतः जरिये राजीनामा के वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा वाद हाजा मे इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि – मौजा सरहद ग्राम माण्डीगढ, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान) स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर– 201 रकबा– 5 बीघा 1 बिस्वा से नये बने खसरा नम्बर– 655 रकबा– 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर– 656 रकबा– 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर– 657 रकबा– 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर– 660 रकबा– 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर– 661 रकबा– 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर– 662 रकबा– 0.11 हैक्टर जुमले रकबा– 0.76 हैक्टर वादी बाबू वल्द चूना, समी बेवा चूना, पेमा वल्द चिमना, जातिगण– जाट, निवासीगण– माण्डीगढ 1/2 व हिम्मतराम वल्द वरदा 1/2 के नाम खातेदारी की घोषित की जाती है एवं पुराने खसरा नं0 202 से नये बने खसरा नम्बर– 663 रकबा– 0.66 हैक्टर प्रतिवादी संख्या–1 लगाय– 12 की खातेदारी की घोषित की जाती है। माफिक डिक्री के उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद किया जावे। तदनुरूप डिक्री पर्चा मुर्तित हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक–09-05-2016 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी